संख्या 1898-4 जी०एस०-II-73/13043

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डलों में आयुक्त, सभी उपायुक्त, तथा हरियाणा के सभी उप मण्ड अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़, 23-5-73

विषय :—सिविल सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति ।

श्रीमान् जी,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 191-4 जी०एस०-II-72 2483, दिनांक 21 जनवरी, 1972 की ओर दिलाऊं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में पदों के लिये नियत अर्हताओं में ढील दी जा सकती है । पुनर्विलोकन करने पर यह निर्णय किया गया है कि ऐसी ढील केवल सरकार द्वारा ही दी जानी चाहिए न कि नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अतः यह अनुरोध है कि इस संदर्भ के प्रयोग पत्र में प्रयुक्त शब्द "नियुक्ति-प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "सरकार" प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ।

2. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति :—

वित्त आयुक्त, राजस्व तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों को आवश्यक कार्यवाही हेतु इस विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 191-4 जी०एस०-II-72 दिनांक 21 जनवरी, 1972 के सिलसिले में प्रेषित की जाती है ।